कार्यपालिक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा, पन्द्रहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों से प्राप्त किये गए अन्य वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

राज्य की राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है। जीएसडीपी के प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में 5.86 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2021-22 में 4.03 प्रतिशत रह गया, जो कि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि,राज्य सरकार का वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 25,870 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (37.70 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (38.20 प्रतिशत) से कम था।

राज्य का वित्त

गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियां ₹ 49,612.17 करोड़ (36.94 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय ₹ 31,480.60 करोड़ (17.66 प्रतिशत) बढ़ा।

पूंजीगत परिव्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 8,881.11 करोड़ (58.16 प्रतिशत) बढ़ा।

वर्ष 2021-22 के दौरान एनपीएस में नियोक्ता अंशदान ₹ 641.89 करोड़ का कम हस्तान्तरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उस राशि से राजस्व के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी योगदान के ₹ 778.28 करोड़ तथा लेगेसी राशि ₹ 30.72 करोड़ के कम हस्तांतरण के कारण राज्य सरकार की ओर से ₹ 809.00 करोड़ की आस्थगित देयता है।

एनपीएस को शासित करने वाले राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 को 01 अप्रैल 2022 से निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान राज्य के सामान्य राजस्व शीर्ष में जमा किया जाएगा और एनपीएस अंशदाता की सेवानिवृत्ति/मृत्यु का समय इसका भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है क्योंकि इसे राज्य के राजस्व का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

बजटीय प्रबंधन

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे। बजट तैयार करने और निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए बजट पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाने के बावजूद, बजटीय अनुमान एक स्तर तक सही नहीं थे और बजट के निष्पादन और अनुश्रवण पर नियंत्रण अपर्याप्त था। *राज्य सरकार को विभागों की आवश्यकताओं की वास्तविक अवधारणाओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।*

वर्ष के दौरान ₹ 32,628.83 करोड़ (9.86 प्रतिशत) की बचत हुई और ₹ 72,779.09 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुए। विगत कई वर्षों से इन मामलों को प्रत्येक वर्ष उठाने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही। *बजट के उचित कार्यान्वयन और अनुश्रवण को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत कम हो, अनुदान/विनियोग के अन्दर बड़ी बचत नियंत्रित हो तथा अनुमानित बचत की पहचान की जाए और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित किया जा सके।*

आवंटन के साथ-साथ व्यय में विचलन के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये । इस संबंध में जन लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचतों के मामले देखे गए। *बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखे तैयार करने, आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाना आवश्यक है।*

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ

आरक्षित निधि/जमा निधि में उपकर/अधिभार की अहस्तांतरित राशि इंगित करती है कि राज्य सरकार का राजस्व/राजकोषीय घाटा अहस्तांतरित राशि की सीमा तक कम किया गया है और राज्य सरकार की ओर से बकाया देयता का प्रतिनिधित्व करता है। *राज्य सरकार निधियों के अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने*

और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के सही चित्रण के लिए सांविधिक आरक्षित निधियों/जमा निधियों में प्राप्तियों का शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकती है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का निहित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करना न सिर्फ वित्तीय जवाबदेयता तंत्र की कमजोरी को बल्कि अनुदान के निहित उद्देश्य हेतु समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों के नियमों एवं प्रक्रियाओं की पालना में विफलता को भी इंगित करता है। *राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है कि विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।*

एक ही मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने के बावजूद लघु शीर्ष 800 के तहत बुकिंग करना लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। *वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को उचित लेखा शीर्षों के तहत दर्ज किया जावे।*

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन और चोरी/गबन के राशि ₹ 118.50 करोड़ के 745 प्रकरण सूचित किए, जिन पर अंतिम कार्रवाई लंबित थी। *सरकार दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने एवं ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने पर विचार कर सकती है।*

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2022 तक, 39 सरकारी कंपनियों (3 निष्क्रिय कंपनियों सहित), तीन सांविधिक निगमों और चार सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों सहित 46 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। *सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।*

वर्ष 2021-22 के दौरान, इन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों ने ₹ 88,955.64 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया, जो राजस्थान की जीएसडीपी के 7.44 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2022 के अंत में इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश ₹ 1,71,242.85 करोड़ के समक्ष इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 58,579.86 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को इन सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋण गत वर्ष (2020-21) के दौरान ₹ 1,09,866.25 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,18,011.17 करोड़ हो गया।

इन पीएसयू में से, 27 पीएसयू ने लाभ (₹ 1,984.24 करोड़) अर्जित किया, जबकि 12 पीएसयू में घाटा (₹ 4,124.37 करोड़) हुआ तथा तीन पीएसयू ने न तो लाभ और न ही हानि सूचित की। 31 मार्च 2022 तक, 23 पीएसयू को ₹ 1,07,318.60 करोड़ की संचित हानि थी। *राजस्थान सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है सहित घाटे में चल रहे सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।*

एक सांविधिक निगम सहित 24 पीएसयू के 49 लेखे बकाया थे। *सरकार समय पर लेखे प्रस्तुत करने और लेखों के अन्तिमिकरण के बकाया के निपटान हेतु अलग-अलग पीएसयू के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।*